न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नाई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 268/2018
आर.सी.एम.एस. :: 2018/00363

प्रार्थी :–	**बनाम**	**अप्रार्थी:–**
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) सोजत		1. भेराराम पुत्र ओगड़राम छोगाराम पुत्र ओगड़राम के का.मु. 2. कुकीदेवी पत्नी छोगाराम 3. रमेश पुत्र छोगाराम 4. रामस्वरूप पुत्र छोगाराम 5. संजु पुत्री छोगाराम 6. सुमन पुत्री छोगाराम 7. पुजा पुत्री छोगाराम 8. सरोज पुत्री छोगाराम जातिगण राईका निवासीगण साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली (राज.)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार उपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक : 31/12/2018

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) सोजत द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरूद्ध अप्रार्थीगण के दादा घेवर पुत्र भाना राईका के नाम अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम साण्डिया पटवार हल्का साण्डिया तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1559/1 रकबा 0.40 है. किस्म बा.दो. के नियम विरूद्ध किए गए आवंटन को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम साण्डिया, पटवार हल्का साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली के ख.न. 1559/1 रकबा 0.40 है. किस्म बा.दो. जो गैर मुमकिन नाडी दर्ज थी। जिसका आवंटन अप्रार्थीगण के दादा घेवर पुत्र भाना के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी सोजत के आदेश क्रमांक भू आवंटन/स्पे./5 दिनांक 01.07.1978 के द्वारा किस्म परिवर्तन गै.मु. नाडा से बा.दो. कर किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 230 एवं इसके पश्चातवर्ती

अति. जिला कलेक्टर, पाली

नामान्तरकरण को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नाडा दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम साण्डिया, पटवार हल्का साण्डिया तहसील सोजत के ख.न. 1559/1 रकबा 0.40 बीघा किस्म बा.दो. जो गैर मुमकिन नाडा दर्ज थी, जिसका आवंटन अप्रार्थीगण के दादा घेवर पुत्र भाना के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी सोजत के आदेश क्रमांक भू आवंटन/स्पे./5 दिनांक 01.07.1978 के द्वारा किस्म परिवर्तन कर किया गया एवं उसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 230 तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत किया गया जिसके द्वारा उसको गैर खातेदार दर्ज किया गया था। जो उसके फौत हो जाने से उसका फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 532 पाबूराम के हक में भरा जाकर उसे खातेदार दर्ज किया गया तथा उसके देहान्त हो जाने के पश्चात ओगडराम को जरिये नामान्तरकरण संख्या 800 के दर्ज किया गया एवं ओगडराम की मृत्यु हो जाने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 1284 के उसके वारिशान को दर्ज किया गया। वक्त आवंटन/नियमन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नाडा दर्ज थी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से स्पष्टतया खारीज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1539/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से उपखण्ड अधिकारी के आवंटन आदेश एवं उसकी पालना में तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 230 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 532, 800 व 1284 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के दादा घेवर पुत्र भाना राईका निवासी साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली (राज.) के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा जरिये आदेश क्रमांक भू आवंटन/स्पे./5 दिनांक 01.07.1978 के द्वारा किया गया आवंटन एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 230 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 532, 800 व 1284 को निरस्त फरमाया जावे।

(भागीरथ बिश्नाई)
अति.जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली